न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः **225/2025** दायर दिनाँक **13.11.2025**

प्रार्थीया		**अप्रार्थीगण**
1. अमित बिडियासर दत्तक पुत्र मुकनाराम जाति जाट निवासी पावा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन	**बनाम्**	1. मुकनाराम पुत्र भागीरथ राम जाति जाट निवासी पावा तहसील छोटीखाटू जिला डीडवाना–कुचामन 2. तहसीलदार छोटीखाटू

प्रार्थना–पत्र बाबत्
अस्थायी व्यादेश हेतु
अन्तर्गत धारा– 212 R.T.Act.

उपस्थितः–
1. श्री अशोक भाकर वकील प्रार्थी।
2. श्री महेन्द्रसिंह खिलेरी वकील अप्रार्थी।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **25.03.2026**

प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम की पैतृक खातेदारी की भूमि वर्तमान खेत खसरा संख्या 82 रकबा 2.6600 है. वाके सरहद बाजियां की ढाणी, पटवार हल्का पावा में अवस्थित है। प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 1 का दत्तक पुत्र है। रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 18.01.2022को उपपंजीयक छोटीखाटू में पंजीयन करवाया गया है जो पुस्तक संख्या 4 जिल्द संख्या 1 में पृष्ठ संख्या 96 क्रम संख्या 20220317140003 पर पंजीबद्ध है। अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के उत्तराधिकार एव वारिस केवल प्रार्थी ही है क्योंकि अप्रार्थी संख्या 1 की पत्नी पूर्व में फौत हो चुकी है। उक्त वर्णित खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के कोई सन्तान नहीं होने से बाल्यावस्था मे ही प्रार्थी को सामाजिक रीति रिवाज गौद लिया था। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 का हिन्दु उत्तराधिकार के तहत बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है। उपरोक्त दत्तक पैतृक भूमि होने से अप्रार्थी संख्या 1 का प्रार्थी दत्तक पुत्र होने से प्रत्येक इंच पर बराबर–बराबर हक हिस्सा है। उक्त खसरान की भूमि मे प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रखा है। इसलिए प्रार्थी के उपर संकट के बादल छा गये तथा वह अपनी पैतृक सम्पति महरूम होने की स्थिति मे आ गया। बल्कि प्रार्थी को अपने दत्तक नोशनल शेयर अनुसार हक हिस्सा व अधिकार हिन्दु [illegible] परिवार के अनुसार पैत्रिक सम्पति निहित है। अप्रार्थी संख्या [illegible] खातेदारी में दर्ज नहीं होने का फायदा उठाकर उपरोक्त खसरान की भूमि [illegible] बेचान, हस्तान्तरण करने की धमकियां दे रहे है तथा प्रार्थी [illegible] की भूमि से बेदखल [illegible] पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:10 IST
Reason: SelfAttested

vikas
उपखण्ड अधिकारी

आमादा हो रखे है। यदि प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अजहद मानसिक व आर्थिक नुकसान होगा जिसकी क्षतिपूर्ति भविष्य में नगदी से संभव नहीं होगी तथा पक्षकारान के मध्य वाद की बहुल्यता बढ़ेगी। इसलिए अप्रार्थी संख्या को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा का करना लाजमी आया है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर ता–फैसला मूल वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावें कि वर्तमान खेत खसरा संख्या 82 रकबा 2.6600 है. वाके सरहद बाजियां की ढाणी पटवार हल्का पावा की भूमि का अप्रार्थी संख्या 1 किसी प्रकार बैचाण, हस्तान्तरण, गिरवी, रहन व अन्तरण न तो स्वयं करे, ना ही अपने किसी एजेन्ट या प्रतिनिधि से करावे तथा ना ही किसी प्रकार का कच्चा पक्का निर्माण आदि करे। दौराने वाद राजस्व रेकर्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश सादर फरमावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 बावजूद इत्तला अनुपस्थित रहने से एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता महेन्द्र सिंह खिलेरी ने जवाब पेश कर अपने जवाब में बताया कि गोदनामा अवश्य रजिस्टर्ड हो रखा है लेकिन वह प्रार्थी की खराब मानसिक स्थिति व उसको दवाब में लेकर करवाया हुआ है। उक्त गोदनामें के पश्चात जवाबदेता के पश्चात प्रार्थी ने गम्भीर मारपीट की तथा उसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया। इसका परिवाद भी पुलिसथाना खुनखुना में पेश किया हुआ है। उक्त गोदनामा से पहले भी प्रार्थी के परिवारवालों ने जवाब देता की साथ गम्भीर मारपीट की थी। जवाबदेता का मकान भी प्रार्थी ने छीन लिया है। अप्रार्थी की मृत्यु के देहान्त के पहले प्रार्थी के परिवारजनों ने अप्रार्थी के साथ कई दफा मारपीट की। जिनके फौजदारी मुकदमें भी चले। प्रार्थी को अप्रार्थी ने कभी गोद नहीं लिया है न ही वह उसका पुत्र है, न ही प्रार्थी पत्र में वर्णित खसरा नम्बर में प्रार्थी का कोई हक अधिकार है। उक्त खेत अप्रार्थी अकेले का है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई दफा मारने का प्रयास किया गया है तथा अप्रार्थी को धक्के देकर मारकर निकाल दिया। जिससे वर्तमान में वह अपने रिस्तेदारों के यहां दुसरे गांव में रहने को मजबुर है व प्रार्थी अप्रार्थी की मृत्यू का इन्तजार कर रहा है। अप्रार्थी बिमार व्यक्ति है जिसके इलाज का कोई साधन नहीं है व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी को उसके इलाज से भी वंचित रखना चाहता है। उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी की जमीन हडपने की नियत से प्रार्थी ने उक्त कूटरिचत दस्तावेज प्रस्तुत किये है अप्रार्थी की पत्नी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी की मानसिक स्थिति कमजोर होने पर उसे डरा धमका कर उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया गया है। जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष अधिवक्तागणों बहस सुनी [illegible] अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहरा[illegible] खसरा नम्बर की भूमि वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के नाम राज[illegible] रेकर्ड में दर्ज है। अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के कोई सन्तान नहीं [illegible] ही प्रार्थी को सामाजिक रीति

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 16:33:10 IST
Reason: SelfAttested

Vikas
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

रिवाज गौद लिया था। इसलिए उपरोक्त खसरा नम्बर की भूमि में प्रार्थी व अप्रार्थी सख्या 1 का हिन्दु उत्तराधिकार के तहत बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है। उक्त खसरान की भूमि में प्रार्थी का नाम दर्ज नहीं होने से अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी को उसके हक हिस्से की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रखा है। प्रार्थी को अपने दत्तक नोशनल शेयर अनुसार हक हिस्सा व अधिकार हिन्दु संयुक्त परिवार के अनुसार पैत्रिक सम्पति निहित है। अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम ने प्रार्थी का नाम खातेदारी में दर्ज नही होने का फायदा उठाकर उपरोक्त खसरान की भूमि को बैचान, हस्तान्तरण करने की धमकियां दे रहे है तथा प्रार्थी को उसके हक अधिकार की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रखे है।

प्रतिउत्तर में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए बताया उक्त भूमि पर प्रार्थी का कोई हक अधिकार नहीं है केवल मात्र अप्रार्थी की जमीन हडपने की नियत से प्रार्थी ने उक्त कूटरचित दस्तावेज प्रस्तुत किये है अप्रार्थी की पत्नी की मृत्यु के पश्चात अप्रार्थी की मानसिक स्थिति कमजोर होने पर उसे डरा धमका कर उक्त गोदनामा रजिस्टर्ड करवाया गया है। जिसका कोई विधिक अस्तित्व नहीं है। प्रार्थी को अप्रार्थी ने कभी गोद नहीं लिया है न ही वह उसका पुत्र है, न ही प्रार्थी पत्र में वर्णित खसरा नम्बर में प्रार्थी का कोई हक अधिकार है। उक्त खेत अप्रार्थी अकेले का है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को कई दफा मारने का प्रयास किया गया है तथा अप्रार्थी को धक्के देकर मारकर निकाल दिया। जिससे वर्तमान में वह अपने रिस्तेदारों के यहां दुसरे गांव में रहने को मजबुर है व प्रार्थी अप्रार्थी की मृत्यू का इन्तजार कर रहा है। अप्रार्थी बिमार व्यक्ति है जिसके इलाज का कोई साधन नहीं है व उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी को उसके इलाज से भी वंचित रखना चाहता है। अत: प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज किये जाने योग्य है।

बहस पर मनन किया रेकार्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन व बहस पर मनन करने के उपरान्त अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के लिए आवश्यक तीनो बिन्दुओ पर निम्नानुसार निर्णय पारित किया जाता है।

1 **प्रथम दृष्टया मामला** :– सरहद बाजियां की ढाणी के खेत खसरा संख्या 82 रकबा 2.6600 है. भूमि मे नोशनल शेयर के आधार पर प्रार्थी. अप्रार्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति हेतु प्रार्थी इस्तदुआ कर रहा है। अप्रार्थीगण का कथन है कि अप्रार्थी संख्या 1 मुकनाराम के कोई सन्तान नहीं होने से बाल्यावस्था में ही प्रार्थी को सामाजिक रीति रिवाज गौद लिया था। रजिस्टर्ड गोदनामा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया है। वर्तमान मे उक्त वर्णित भूमि खातेदारी अप्रार्थी संख्या 1 जो कि प्रार्थी के दत्तक पिता के नाम होने से बैचाण करने पर उतारू है। प्रार्थी के गौद जाने से प्रार्थी के पूर्व पिता की सम्पति से हक अधिकार स्वत: ही समाप्त होकर गोद पिता की सम्पति में निहित हो चुकी है। उक्त सम्पति गौदी पुत्र होने पर प्रार्थी की पैत्रक सम्पति है। इसलिए प्रथमदृष्टया मामला प्रार्थी [illegible]

2. **सुविधा का संतुलन** :– उक्त वर्णित सम्पत्ति मे [illegible] होने से पैत्रक सम्पति है जिसमें प्रार्थी नोशनल शेयर के [illegible] पर खातेदा[illegible]धिकार प्राप्त करने का हक अधिकारी है दौराने वाद प्रार्थी [illegible] की पैत्रक भूमि से बेदखल

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:10 IST
Reason: SelfAttested

किया जाता है तो प्रार्थी को असुविधा होगी ना कि अप्रार्थी को। अतः नोशनल शेयर के आधार पर प्रार्थी हक अधिकारी होने के कारण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में है। अतः सुविधा का संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

3 **अपूरणीय क्षति** :– प्रार्थी उक्त वर्णित भूमि में नोशनल शेयर के आधार पर पैत्रिक सम्पति का हक अधिकारी होने से प्रार्थी के हक हिस्से की भूमि का बैचाण हस्तान्तरण गिरवी रहन इत्यादि होता है तो प्रार्थी अजहद भारी नुकसान होगा एवं प्रार्थी को अपनी पैत्रक सम्पत्ति से वंचित रहने की प्रबल संभावना है जिससे प्रार्थी को भारी क्षति होगी अतः अपूर्णिय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता है।

उपरोक्त प्रथमदृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति के बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में निर्णित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र वास्ते अस्थाई निषेधाज्ञा का स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश :–

प्रार्थना–पत्र प्रार्थी स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावन्द किया जाता है कि वे ताफैसला मूल वाद मौजा सरहद बाजियां की ढाणी पटवार हल्का पावा के खेत खसरा संख्या 82 रकबा 2.6600 है. में विक्रय, हस्तान्तरण, गिरवी, रहन, कच्चा–पक्का निर्माण इत्यादि नहीं करेंगे तथा राजस्व रेकर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाए रखेंगे।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 25.03.2026 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.10 15:33:10 IST
Reason: SelfAttested